संख्या 28034/23/2004 - स्थापना (क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त, 2004

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- पति-पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार की नीति, जीवन के सभी क्षेत्रों तथा कार्यों में महिलाओं की प्रतिष्ठा बढ़ाने को अत्यधिक महत्व देने की रही है । इसी नीति के मद्देनजर सरकार ने पति-पत्नी को एक ही स्थान पर तैनाती दिए जाने संबंधी विस्तृत मार्ग निर्देश दिनांक 03 अप्रैल, 1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28034/7/86-स्थापना (क) तथा दिनांक 12 जून, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28034/2/97-स्थापना (क) द्वारा जारी किए थे । सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया कि किसी प्रकार की प्रशासनिक बाध्यताएँ मौजूद न होने पर भी, विभिन्न मंत्रालयों की ओर से इन कार्यालय ज्ञापनों के निहित अनुदेशों का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया जाता । तद्नुसार सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि पति तथा पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती किए जाने के अनुरोध पर निर्णय लेते समय उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापनों में निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए ।

एस. चन्द्रशेखरन

(एस. चन्द्रशेखरन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

(मानक सूची के अनुसार)

Deptt. of Personnel & Trg.
Receipt & Issue Section
जारी किया/ISSUED
हस्ता/Sig.